



संख्या : ए-22/13/1/2019-स्था.।

दिनांक : 23.08.2019

वर्ष 2019 का कार्यालय आदेश संख्या 128

सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित अधिकारियों के स्थानांतरण/तैनाती के तुरंत प्रभावी आदेश किए हैं :-

क्र.सं.	नाम तथा पदनाम (सर्वश्री/श्री)	वर्तमान तैनाती का स्थान	आदेशित तैनाती का स्थान
1.	श्री दीपक जोशी, अपर आयुक्त	क्षेत्रीय कार्यालय, हिमाचल प्रदेश	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली

2. श्री वी. काशीनाथन, निदेशक, क.रा.बी.निगम स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान तथा चिकित्सा महाविद्यालय, जोका, पश्चिम बंगाल; क्षेत्रीय निदेशक, पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे।

3. श्री सुनील तनेजा, क्षेत्रीय निदेशक, पंजाब; क्षेत्रीय निदेशक, हिमाचल प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे।

क्र.सं. 1 पर उल्लिखित अधिकारी को जनहित में स्थानांतरित किया गया है तथा वे नियमानुसार यात्रा भत्ते/मंहगाई भत्ते/कार्य ग्रहण समय आदि के हकदार होंगे।

क्र.सं. 1 तथा 2 पर उल्लिखित अधिकारियों को दिनांक 29.08.2019 को संबंधित क्षेत्र में रिपोर्ट करने तथा दिनांक 30.08.2019 (अपराहन) को प्रभार ग्रहण करने की सलाह दी जाती है।

क्र.सं. 2 तथा 3 पर उल्लिखित अधिकारी अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगे।

प्रभार रिपोर्ट यथा समय सभी संबंधितों को तथा एक प्रति manish.gupta1@esic.nic.in पर भेज दी जाए।

मनीष गुप्ता

(मनीष गुप्ता)

उप निदेशक

सेवा में,

1. संबंधित अधिकारी।
2. अपर आयुक्त तथा क्षेत्रीय निदेशक, दिल्ली/हिमाचल प्रदेश/पश्चिम बंगाल/ क्षेत्रीय निदेशक/पंजाब/ संकायाध्यक्ष, क.रा.बी.नि.स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान तथा चिकित्सा महाविद्यालय, जोका, पश्चिम बंगाल।
3. सभी प्रभागीय अध्यक्षों, मुख्यालय, नई दिल्ली के प्रधान निजी सचिव/निजी सचिव।
4. बीमा आयुक्त(रा.प्र.अकादमी), द्वारका, नई दिल्ली।
5. सभी अपर आयुक्त तथा क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक(प्रभारी)/संयुक्त निदेशक(प्रभारी)/उप निदेशक(प्रभारी)/अपर आयुक्त, स्था.-5, मुख्यालय, नई दिल्ली।
6. निदेशक(चिकित्सा)दिल्ली/निदेशक(चिकित्सा)नोएडा।
7. सभी क.रा.बी.नि. अस्पतालों तथा क.रा.बी.निगम आदर्श अस्पतालों के चिकित्सा आयुक्त।
8. चिकित्सा महाविद्यालयों/स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थानों/दंत्य महाविद्यालयों/नर्सिंग महाविद्यालयों के संकायाध्यक्ष।
9. निदे./संयुक्त निदे., आंचलिक सतर्कता/संबंधित वित्त एवं लेखा प्रभाग।
10. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इस आदेश को क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
11. पुस्तकालय अध्यक्ष/वैयक्तिक फाइल/गार्ड फाइल/अतिरिक्त प्रतियां।